भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-225
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास

*225. **श्री आलोक शर्मा:**
श्री बलभद्र माझी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप अवसंरचना विकास, शिक्षकों की क्षमता का निर्माण और गुणवत्ता वृद्धि संबंधी उपायों सहित हुई प्रगति का विशेषकर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और सिद्धार्थनगर, कर्नाटक में बेंगलुरू तथा नबरंगपुर, शिमला, जलगांव और भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप बुलंदशहर जैसे जिलों में समयबद्ध कार्यान्वयन और बेहतर अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त जिलों, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत किए गए विद्यालयों, स्थापित किए गए नए आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों, निर्मित किए गए अतिरिक्त कक्षा भवनों तथा विकसित किए गए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-सक्षम स्मार्ट विद्यालयों का ब्यौरा क्या है तथा नामांकन और विद्यार्थियों की शिक्षा की निरंतरता पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;
(घ) क्या सरकार का विचार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट अनुकरणीय परिणाम दर्शाने वाले नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे आकांक्षी जिलों/पिछड़े संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कोई अतिरिक्त निष्पादन आधारित/संबद्ध प्रोत्साहन या विशेष सहायता तंत्र शुरू करने का है; और
(ङ) क्या पर्वतीय और दूर-दराज स्थित क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शैक्षिक अवसंरचना के विकास में अतिरिक्त लागत और चुनौतियां आती हैं और यदि हां, तो क्या ऐसे राज्यों के लिए अतिरिक्त निष्पादन आधारित प्रोत्साहन या विशेष सहायता तंत्र प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सारे पहलू शामिल हैं। यह योजना स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। इस योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक न्यायसंगत और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो जिससे उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जा सके और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य संगत योजनाओं के अभिसरण में तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम वित्त पोषण दोनों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के सृजन में सहायता करती है। पिछले 3 वर्षों में समग्र शिक्षा के तहत अवसंरचना सुविधाओं की राज्य-वार स्वीकृति **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और सिद्धार्थनगर, कर्नाटक में बेंगलुरू, नबरंगपुर, शिमला, जलगांव और भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं **अनुलग्नक-I (क)** में दी गईं हैं। राज्य-वार बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं की वर्तमान स्थिति यूडीआईएसई+पोर्टल <http://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications> पर उपलब्ध है।

समग्र शिक्षा के तहत, छात्रों के अधिगम स्तरों में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ गुणवत्ता और नवाचार का एक विशिष्ट घटक है, जिसमें राज्यों को अधिगम वृद्धि कार्यक्रम, युथ और इको क्लब; समग्र प्रगति कार्ड; सीखने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान; पुस्तकालय; खेल और शारीरिक शिक्षा आदि जैसे मध्यवर्तनों के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक क्षमता वृद्धि और गुणवत्ता वृद्धि संबंधी उपायों को मजबूत बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। एनईपी 2020 में अनुशंसा की गई है कि शिक्षकों को उनके पेशे में आत्म-सुधार तथा नवीनतम नवाचारों और प्रगति सीखने के निरंतर अवसर दिए जाएं। समग्र शिक्षा योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और कक्षा पद्धतियों में सुधार के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सेवाकालीन शिक्षक और शिक्षकों के शिक्षक का प्रशिक्षण समग्र शिक्षा योजना का एक अभिन्न अंग है। ये प्रशिक्षण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता और नवाचार संबंधी मध्यवर्तन के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण घटक के तहत किए गए वित्तीय अनुमोदनों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शिक्षकों की क्षमता वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा), ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा), एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी- सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण) जैसी पहलें भी की जा रही हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 15.11 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) स्कूल शिक्षकों को सलाह प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े पूल के निर्माण की अवधारण करता है। ये संभावित संरक्षक, उम्र या पद की परवाह किए बिना, हमारे राष्ट्र के 21वीं सदी के विकास लक्ष्यों को साकार बनाने में योगदान देंगे। एनएमएम लघु और दीर्घकालिक सलाह/पेशेवर सहायता के महत्व को रेखांकित करता है। यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच क्रॉस-लर्निंग का लाभ उठाने का अवसर लाता है जिससे उनका निरंतर पेशेवर विकास होता है। मेंटर स्कूल के शिक्षकों को उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने, उनकी शिक्षण पद्धतियों, ज्ञान कौशल और छात्र अधिगम के परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी), जैसा कि एनईपी 2020 के पैरा 5.20 में परिकल्पित है, शिक्षकों के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे वे यह समझ पाते हैं कि उनके प्रदर्शन के संदर्भ में क्या अपेक्षित है और इसे बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों के लिए जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें बुलंदशहर शामिल है। इस संबंध में एक प्रमुख पहल राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख की स्थापना है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानक निर्धारित करने, बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सिफारिशें करने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। परख मानकीकृत मूल्यांकन ढांचे को विकसित करने, विभिन्न शिक्षा बोर्डों में मूल्यांकन में स्थिरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप दक्षमता-आधारित आकलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) की शुरूआत ने शिक्षार्थियों का 360-डिग्री मूल्यांकन प्रदान करके छात्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल दिया है, जो केवल शैक्षिक प्रदर्शन के बजाय संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और कौशल-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

मूलभूत चरण (बालवाटिका के 3 वर्ष और ग्रेड 1 और 2) में अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) जारी की गई थी, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अधिगम शिक्षण सामग्री (एलटीएम) आदि के लिए एक संरचना प्रदान की गई थी। तदनुसार, बालवाटिका के लिए जादुई पिटारा (प्री-स्कूल के 3 वर्ष) और ग्रेड 1 और 2 के लिए पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के मध्य अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए, दिनांक 5 जुलाई, 2021 को "समझ कर पढ़ना और संख्यात्मकता में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण

भारत)" नामक एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले। समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 29 जुलाई, 2021 को 'विद्या प्रवेश' नाम से ग्रेड I के लिए 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' आरंभ किया गया था।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 (पूर्व में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण) राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख, एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्कूली शिक्षा मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य चरण (क्रमश: ग्रेड 3, 6 और 9) के अंत तक छात्रों में दक्षताओं के विकास में बेसलाइन प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

मूलभूत स्तर पर (ग्रेड 3 में मूल्यांकित), परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (पीआरएस) 2024 से भाषा और गणित के स्कोर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार को विशिष्ट रूप से दर्शाते हैं, जिससे 2021 में प्रमुख समग्र शिक्षा योजना के तहत शुरू किए गए निपुण भारत मिशन से शुरुआती लाभ का संकेत मिलता है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड जो अधिगम के परिणामों में भिन्नता, चरण-विशिष्ट दक्षताओं की प्राप्ति और कम प्रदर्शन करने वाली दक्षताओं में सुधार के लिए सुझाए गए मध्यवर्तनों के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं, मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशिष्ट डैशबोर्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

(ग) समग्र शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और सिद्धार्थनगर, कर्नाटक में बेंगलुरु, नबरंगपुर, शिमला, जलगांव और भरतपुर में स्तरोन्नत और निर्मित अतिरिक्त कक्षाओं वाले स्कूलों का विवरण निम्नानुसार है:

जिले	**नए स्कूल (वरिष्ठ माध्यमिक)**	**अतिरिक्त कक्षा**	**प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्तरोन्नयन (VI -VIII)**	**उच्च प्राथमिक स्कूलों का माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन**
बेंगलुरु*	**1**	**-**	**-**	**-**
भरतपुर	**-**	**85**	**11**	**-**
बुलंदशहर	**1**	**64**	**-**	**1**
जलगांव	**-**	**1**	**-**	**-**
नबरंगपुर	**17**	**104**	**6**	**3**
शिमला	**-**	**20**	**-**	**-**
सिद्धार्थनगर	**1**	**209**	**-**	**-**

*बेंगलुरु शहरी दक्षिण/उत्तर और बेंगलुरु ग्रामीण शामिल हैं

*स्रोत: प्रबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित नए/स्तरोन्नत स्कूलों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

यूडीआईएसई+ 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर और सिद्धार्थनगर जिलों, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहरी दक्षिण, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहरी उत्तर जिलों, ओडिशा राज्य के नबरंगपुर जिले, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले और राजस्थान के भरतपुर जिले में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों (ग्रेड VI और उससे ऊपर) का विवरण इस प्रकार है: -

राज्य का नाम	जिला	आईसीटी लैब वाले स्कूल			स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूल		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	34	20	10	619	375	253
	सिद्धार्थनगर	43	36	30	342	230	202
कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी दक्षिण	101	103	105	304	273	211
	बेंगलुरु ग्रामीण	65	63	73	211	193	152
	बेंगलुरु शहरी उत्तर	66	63	64	194	158	109
ओडिशा	नबरंगपुर	173	193	173	481	241	175
हिमाचल प्रदेश	शिमला	355	371	319	389	363	284
महाराष्ट्र	जलगांव	42	52	40	410	392	360
राजस्थान	भरतपुर	130	132	257	239	193	116

स्रोत: यूडीआईएसई

स्थापना के बाद से स्कूलों में स्थापित आईसीटी प्रयोगशालाओं और विकसित स्मार्ट क्लासरूम की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

उक्त जिलों में से, शिमला जिले में 2 आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों को नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय के तहत 2025-26 के दौरान अनुमोदित किया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जैसे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं, के तहत उक्त जिलों में पिछले 3 वर्षों में भरतपुर जिले में 2, बुलंदशहर में 11 और सिद्धार्थनगर में 7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का स्तरोन्नयन किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) कार्यक्रम के तहत, नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 100-100 क्षमता

के 9 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 3 जिले शामिल हैं: नबरंगपुर (4), मलकानगिरी (3) और कोरापुट (2), जिनकी कुल एनआर लागत 3433.05 लाख रुपये है। मलकानगिरी जिले में- जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक अन्य योजना जिसका नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) है, के तहत कुल 1300 क्षमता (100 बिस्तर वाला) के 16 छात्रावासों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल एन आर लागत 4130 लाख रुपये है।

पीएम जनमन के तहत अनुमोदित छात्रावासों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है और पिछले 3 वर्षों (2023-24 से 2025-26) के दौरान डीएजेजीयूए कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित छात्रावासों **अनुलग्नक-V(क)** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवादियों, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों आदि को प्राथमिकता दी जाती है। तदनुसार, इन जिलों में शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अलग-अलग मध्यवर्तन प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक के आरंभ में उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों/घटकों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्य के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है।

निधियों के केन्द्रीय हिस्से को किस्तों में जारी किया जाता है जो पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की वित्तीय प्रगति पर निर्भर करता है, जिससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की लागत कठिन इलाके, निर्माण सामग्री की सीमित उपलब्धता, उच्च परिवहन लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक है। समग्र शिक्षा मानकों के अनुसार, कार्यकलापों की इकाई लागत की गणना करते समय दरें विनिर्दिष्ट मानकों और राज्य दर सूची (एसएसओआर) अथवा सीपीडब्ल्यूडी दरों, इनमें से जो भी कमतर हो, के अनुसार ली जाती हैं। इस प्रकार लागत में भिन्नता को शामिल किया जाता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से दुर्गम भौगोलिक भू-भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ घने वनों वाले क्षेत्रों सहित कम आबादी वाले या पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों तक पहुंचने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है

- **अनुकूल अनुदान पैटर्न:** जबकि केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात मानक 60:40 है, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर) के लिए इसे कम कर 90:10 तक कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि केंद्र सरकार वित्तीय बोझ का बड़ा हिस्सा वहन करे।
- **आवासीय विद्यालय/छात्रावास:** उन क्षेत्रों में जहां विरल आबादी या चरम इलाके के कारण स्कूल का निर्माण अव्यवहार्य है, इस योजना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों अर्थात आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों का प्रावधान है। इसके अलावा, पीएम जनमन और डीएजेजीयूए योजना के तहत समग्र शिक्षा की छतरी के तहत आदिवासी छात्रों के लिए विस्तारित छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

- **परिवहन और मार्गरक्षण सुविधा:** दूरदराज की बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए, इस योजना में कक्षा 10 तक प्रति वर्ष ₹6,000 तक का परिवहन भत्ता का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित रूप से स्कूलों तक पहुंच सकें।
- **शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर:** दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

***

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पेयजल	अतिरिक्त कक्षाएँ	लड़कों के लिए शौचालय	लड़कियों के लिए शौचालय	रैंप	बिजली	पुस्तकालय	प्रमुख मरम्मत	प्रयोगशालाएं (भौतिक, रसायन, जैव विज्ञान)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	1	0	8
2	आंध्र प्रदेश	216	173	0	0	298	81	115	389	557
3	अरुणाचल प्रदेश	0	226	233	273	0	0	34	173	109
4	असम	12	3192	1221	856	1016	0	0	1186	2051
5	बिहार	1854	6615	6022	7041	213	191	12	0	14593
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	70	1148	568	414	43	0	60	494	76
8	दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	68	0
9	दिल्ली	0	9	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	4	0	0	0	0
11	गुजरात	0	732	252	217	0	0	3	292	4
12	हरियाणा	0	1695	0	0	0	0	168	0	986
13	हिमाचल प्रदेश	1	189	74	50	6	67	235	354	268
14	जम्मू और कश्मीर	45	2824	1094	1135	65	13	147	610	391
15	झारखंड	262	965	398	249	0	0	1	1229	866
16	कर्नाटक	67	0	245	73	0	200	0	399	347
17	केरल	69	0	422	496	150	69	0	110	61
18	लद्दाख	59	125	89	90	32	96	10	114	4

19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	153	976	490	506	21	5060	168	1590	1215
21	महाराष्ट्र	0	99	1061	716	0	0	45	482	535
22	मणिपुर	111	186	230	228	0	0	32	167	88
23	मेघालय	410	18	102	143	389	100	0	66	0
24	मिजोरम	30	15	12	11	223	92	3	20	20
25	नागालैंड	0	24	16	18	0	10	0	59	65
26	ओडिशा	237	1360	2172	1360	799	1673	0	1	344
27	पुडुचेरी	0	4	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	1960	1797	1969	0	0	167	704	317
29	राजस्थान	495	1242	68	349	0	0	872	40	3430
30	सिक्किम	5	4	141	133	116	5	0	71	11
31	तमिल नाडु	0	107	0	549	274	0	0	1003	0
32	तेलंगाना	0	209	0	0	0	0	0	0	598
33	त्रिपुरा	0	301	186	285	578	50	33	202	113
34	उत्तराखंड	0	338	242	273	0	48	38	506	357
35	उत्तर प्रदेश	332	5412	48	51	34	0	9	1688	8
36	पश्चिम बंगाल	0	812	99	0	0	0	0	1341	4300
कुल		**4428**	**30960**	**17282**	**17485**	**4261**	**7755**	**2153**	**13358**	**31722**

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक-I(क)

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और सिद्धार्थनगर, कर्नाटक में बेंगलुरु, नबरंगपुर, शिमला, जलगांव और भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं

जिले	नए स्कूल (वरिष्ट माध्यमिक)	पेय जल	अतिरिक्त कक्षा	लड़कों के लिए शौचालय	लड़कियों के लिए शौचालय	सीडब्ल्यूएसएन रैंप	विद्युतीकरण	पुस्तकालय कक्ष	प्रमुख मरम्मत	प्रयोगशालाएं (भौतिक, रसायन, जैव विज्ञान)
बेंगलुरु	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
भरतपुर	-	9	85	3	10	-	-	35	-	71
बुलंदशहर	1	12	64	-	1	-	-	-	8	-
जलगांव	-	-	1	18	21	-	-	-	3	7
नबरंगपुर	17	-	104	50	37	21	142	-	-	15
शिमला	-	-	20	14	7	-	23	33	53	16
सिद्धार्थनगर	1	4	209	1	1	-	-	-	85	-

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक-II

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता और नवाचार मध्यवर्तन के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण घटक के तहत दिए गए वित्तीय अनुमोदन

(₹) लाख में

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित		
		2023-24*	2024-25	2025-26
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.05	40.80	57.48
2.	आंध्र प्रदेश	1887.31	3821.68	2129.43
3.	अरुणाचल प्रदेश	447.55	218.38	182.80
4.	असम	1975.97	2734.32	1905.27
5.	बिहार	6979.40	10793.37	20982.30
6.	चंडीगढ़	96.96	45.83	53.18
7.	छत्तीसगढ़	1468.86	1446.02	1271.51
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	119.18	100.03	110.85
9.	दिल्ली	697.83	1080.95	1281.02
10.	गोवा	50.38	76.08	21.18
11.	गुजरात	777.22	0.00	7082.47
12.	हरियाणा	427.48	926.24	738.29
13.	हिमाचल प्रदेश	134.89	399.55	327.71
14.	जम्मू और कश्मीर	1650.49	1734.15	1501.45
15.	झारखंड	331.38	861.97	487.80
16.	कर्नाटक	1986.93	4423.59	5828.84
17.	केरल	0.00	0.00	0.00
18.	लद्दाख	59.48	28.81	27.06
19.	लक्षद्वीप	1.58	3.70	5.30
20.	मध्य प्रदेश	7829.74	5515.39	2830.89
21.	महाराष्ट्र	3014.80	3200.64	1661.18
22.	मणिपुर	356.65	460.48	90.25
23.	मेघालय	0.00	114.06	136.42
24.	मिजोरम	28.61	0.00	47.75
25.	नागालैंड	317.37	5.98	13.41
26.	ओडिशा	0.00	0.00	18.84
27.	पुडुचेरी	8.10	227.30	80.33

28.	पंजाब	946.85	541.81	319.12
29.	राजस्थान	775.87	1803.89	1854.75
30.	सिक्किम	84.54	9.13	0.68
31.	तमिलनाडु	856.25	11350.15	11910.80
32.	तेलंगाना	575.76	1949.61	1925.70
33.	त्रिपुरा	414.03	425.78	467.35
34.	उत्तराखंड	386.98	144.83	421.38
35.	उत्तर प्रदेश	5701.58	7491.53	5333.62
36.	पश्चिम बंगाल	649.06	1967.50	1349.90
	कुल	**41063.11**	**63943.50**	**72456.26**

स्रोत: प्रबंध

अनुलग्नक-III

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राज्य-वार अनुमोदित नए/स्तरोन्नत स्कूल					
क्रम संख्या	राज्य	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**	**कुल योग**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2	0	0	2
3	अरुणाचल प्रदेश	4	0	0	4
4	असम	15	26	28	69
5	बिहार	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	14	0	0	14
8	दादरा और नगर हवेली	0	6	0	6
9	गुजरात	10	17	11	38
10	हरियाणा	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	1	0	2	3
13	झारखंड	0	0	0	0
14	कर्नाटक	14	14	21	49
15	केरल	0	0	0	0
16	लद्दाख	1	3	2	6
17	मध्य प्रदेश	24	0	42	66
18	महाराष्ट्र	0	2	0	2
19	मणिपुर	13	6	0	19
20	मेघालय	19	0	0	19
21	मिजोरम	14	0	0	14
22	नागालैंड	0	0	0	0
23	ओडिशा	108	0	206	314
24	पंजाब	32	15	0	47
25	राजस्थान	78	13	0	91
26	सिक्किम	2	1	0	3
27	तमिलनाडु	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	9	3	4	16
29	उत्तर प्रदेश	29	63	69	161
30	उत्तराखंड	1	3	1	5
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
कुल योग		**390**	**172**	**386**	**948**

***स्रोत: प्रबंध**

अनुलग्नक-IV

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

स्थापना के बाद से स्कूलों में स्थापित आईसीटी प्रयोगशालाओं और विकसित स्मार्ट क्लासरूम की राज्य-वार सूची

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	*आईसीटी (वर्ष 2005-06 से आज तक)*		स्मार्ट क्लासरूम *(वर्ष 2020-21 से आज तक)*	
	अनुमोदन	कार्यात्मक	अनुमोदन	कार्यात्मक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	162	147	49	0
आंध्र प्रदेश	9671	9040	6840	4691
अरुणाचल प्रदेश	794	480	345	141
असम	8400	7536	7146	6023
बिहार	4942	3410	11586	3422
चंडीगढ़	155	139	186	186
छत्तीसगढ़	6965	2341	10771	5857
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	153	141	192	137
दिल्ली	2208	1181	5696	1018
गोवा	463	460	87	24
गुजरात	6179	5851	7155	7293
हरियाणा	5446	3553	3556	3226
हिमाचल प्रदेश	3893	2558	2858	2262
जम्मू और कश्मीर	4341	3036	4428	1352
झारखंड	5447	4966	2459	1244
कर्नाटक	9536	3468	4099	437
केरल	2489	2409	752	373
लद्दाख	200	172	165	123
लक्षद्वीप	28	11	0	0
मध्य प्रदेश	8489	4037	12573	5758
महाराष्ट्र	11387	10134	6006	2257
मणिपुर	997	826	565	544
मेघालय	545	464	25	25
मिजोरम	1166	724	244	229
नागालैंड	811	649	712	703
ओडिशा	10084	8315	11776	6973
पुडुचेरी	258	188	152	145
पंजाब	8965	3971	3938	3568
राजस्थान	13408	8807	16891	7612
सिक्किम	385	381	301	301
तमिलनाडु	16595	13351	9832	865
तेलंगाना	7419	5292	6248	3982
त्रिपुरा	1782	1456	1162	889
उत्तर प्रदेश	20098	9613	34533	26925
उत्तराखंड	1108	856	2829	1537
पश्चिम बंगाल	4184	2788	581	0
कुल	**179153**	**122751**	**176738**	**100122**

अनुलग्नक-V

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम जनमन के तहत अनुमोदित कुल छात्रावास

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृत छात्रावास
आंध्र प्रदेश	87
बिहार	15
छत्तीसगढ़	40
गुजरात	13
झारखंड	39
कर्नाटक	7
केरल	4
मध्य प्रदेश	106
महाराष्ट्र	25
मणिपुर	6
ओडिशा	76
राजस्थान	21
तमिलनाडु	8
तेलंगाना	16
त्रिपुरा	32
उत्तराखंड	3
यूपी	2
कुल	500

***स्रोत: प्रबंध**

अनुलग्नक-V(क)

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री आलोक शर्मा और श्री बलभद्र माझी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीए जेजीयूए के तहत अनुमोदित कुल छात्रावास

क्रं. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत छात्रावास**
1	मध्य प्रदेश	104
2	अरुणाचल प्रदेश	45
3	झारखंड	5
4	तेलंगाना	10
5	त्रिपुरा	15
6	सिक्किम	5
7	राजस्थान	58
8	बिहार	19
9	महाराष्ट्र	22
10	आंध्र प्रदेश	4
11	कर्नाटक	14
12	नागालैंड	23
13	ओडिशा	40
14	मणिपुर	44
15	असम	209
16	गुजरात	9
17	उत्तर प्रदेश	3
18	उत्तराखंड	3
19	लद्दाख	1
20	मिजोरम	13
21	हिमाचल प्रदेश	2
22	छत्तीसगढ़	42
23	केरल	2
कुल		692

***स्रोत: प्रबंध**